Precision

Precision Electronics Limited

PEL/BSE/34/2025-26

December 1, 2025

BSE Limited
Corporate Relationship Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001

Scrip Code- 517258

Sub: **Publication of newspaper advertisement pertaining to Special Window introduced by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for Re-lodgement of transfer requests of physical shares**

Ref: SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisement published on November 30, 2025, in the Financial Express (in English – All India edition) and in Jansatta (in Hindi - New Delhi Edition) newspapers, informing the members about the opening of a Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares.

The above information will also be available on the website of the Company: www.pel-india.in.

You are requested to kindly take the above information on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Precision Electronics Limited**

Punit Amarpalsingh Bajaj

Digitally signed by Punit Amarpalsingh Bajaj
Date: 2025.12.01 16:34:30 +05'30'

(Punit A. Bajaj)
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: FCS 13366

Precision Electronics Ltd. D-10 Sec-III Noida U.P.

Encl: as above

Noida Office
D-10, Sector-3, Noida 201301,
Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh, India
Tel.: +91-120-2551556 / 1557 / 5176 / 5177
Fax: +91-120-2524337

Registered Office
D-1081, New Friends Colony,
New Delhi-110025

Email : contacts@pel-india.in, Website : www.pel-india.in
CIN: L32104DL1979PLC009590,UDYAM-UP-28-0002995

CIL e-procurment portal **https://coalindiatenders.ni** and Central Public Procurement Portal **https://eprocu** **gov.in** In addition, procurement is also done through C portal **https://gem.gov.in".** R-5

ANKIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMIT

CIN: U65910GJ1995PTC024784

RBI NBFC REGISTRATION NUMBER: B.01.00278

Regd. Office Addres: 30, Omkar House, C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad: 380009, Gujarat, India.

Contact Number: +91-9825014208 E-mail: opbhandarica@gmail.com

PUBLIC NOTICE

In terms of the Para 42.3 of the Master Direction- Reserve Bank of (Non-Banking Finanacial Company Scale Based Regulation) Directions, No. DoR.FIN.REC.No.45/03.10.119/2023-24 dated October 19, 202 updated from time to time).

The notice is hereby given that **ANKIT FINANCIAL SERVICES PRI LIMITED ("the Company")**, a company incorporated under the Companie 1956 having CIN: U65910GJ1995PTC024784 and registered with Reserve B India ('RBI") vide **CoR No. B.01.00278** as a non-deposit taking Non-Ba Finance Company **("NBFC")** whereby the majority shareholders of the Com namely Mr. Ankit Bhandari, Mr. Amit Bhandari, Mrs. Induben Bhandari O. P. Bhandari (HUF) **("the Outgoing Shareholders")** holding 16,75,000 shares (being 60.36% of the total equity share capital), intend to sell or transfe shareholding in favour of Mr. Hemen Hirenkumar Joshi, Mr. Vishal Janak Des Mr. Ravi Prahladbhai Patel **("the Proposed Acquirers")** who intends to acqui shares. Pursuant to such acquisition of shares from outgoing shareholders, will be change in shareholding of 60.36% of the paid-up share capital c Company.

Further, Mr. Amit Omprakash Bhandari (DIN-00066166) **("the Outg Director")**, intends to resign from the Directorship of the Company and Mr. H Hirenkumar Joshi (DIN-02706938), Mr. Vishal Janak Desai (DIN-02646244 Mr. Ravi Prahladbhai Patel (DIN-02984252) **("the Proposed Directors"** proposed to be appointed as the new Directors of the Company. Such Chan directorship shall result in the change in management of the Company.

The Proposed transaction will result in change of more than 26% o shareholding of the Company and change of more than 30% of in the composit the Board of Directors of the Company, thus requiring prior approval of RBI u regulation 42 of the directions.

The reason for the change in shareholding patterns and management c Company is that due to proposed family settlement amongst the family men and social obligations, the selling shareholders have intimated the Company their intention to sell their equity shares of the Company and Mr. Amit Ompra Bhandari has expressed his unwillingness to continue as a Director of the Com In view of the above circumstances, it is proposed to appoint new Directors na Mr. Hemen Hirenkumar Joshi (DIN-02706938), Mr. Vishal Janak D (DIN-02646244) and Mr. Ravi Prahladbhai Patel (DIN-02984252) belonging t shareholders group **("the Proposed Acquirers")** who will acquire sharehol from the Outgoing Shareholders of the Company. The proposed Director having rich experience in the diverse fields in various companies including and also have interest in the business of finance and investments and the Com is likely to grow, expand and prosper.

The company has already obtained the prior approval for change in shareh patterns from Department of Regulation, Reserve Bank of India, Ahmed vide their letter No. AMD.DOR.NBFC.No.S599/01.01.001/2025-26 19th November, 2025 and for change in management vide their No. AMD.DOR.NBFC.No.S612/01.01.001/2025-26 dated 26th November, The proposed change in shareholding patterns of the Company and managem the Company as mentioned above will be effected after 30 days of publicat this notice.

PRECISION ELECTRONICS LIMITED

CIN: L32104DL1979PLC009590

Registered Office: D-1081 New Friends Colony, New Delhi 110025

Phone: 120 2551556/7 **Fax:** 120 2524337

Email: cs@pel-india.in, **Website:** www.pel-india.in

NOTICE WITH RESPECT TO SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSDPoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025 has introduced a Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares to facilitate ease of investing for investors and to secure their rights in the securities purchased by them.

Pursuant to the said Circular, investors who had submitted transfer requests for physical shares prior to April 1, 2019 (the date from which transfer of securities in physical form was discontinued), and whose requests were rejected or returned due to deficiencies, are now provided an opportunity to re-lodge such transfer requests.

Eligible investors may re-lodge their earlier requests with the Company's Registrar and Share Transfer Agent ('RTA'), Skyline Financial Services Pvt. Ltd., along with the requisite documents and rectifying deficiency, if any, during the Special Window period of six (6) months, i.e., from July 7, 2025, till January 6, 2026. Investors are hereby informed that pursuant to the said Circular, the securities re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Company / RTA, as on the date) shall only be issued in demat form after following due process for transfer-cum demat requests. Investors may send the documents to the Company or RTA at any of the addresses given below:

Precision Electronics Limited To, The Company Secretary D-10, Sector-3, Noida - 201 301, Uttar Pradesh, India Tel: +91-120 255 5176/7 E-mail: cs@pel-india.in	**Skyline Financial Services Pvt. Ltd.** Unit: Precision Electronics Limited D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi - 110020 Tel: +91-11-26812682 Email: admin@skylinerta.com

We encourage all investors who previously submitted transfer requests but have not yet received transferred shares due to outstanding deficiencies to take advantage of this Special Window, established for the benefit of investors.

UPDATE KYC AND CONVERT PHYSICAL SHARES INTO DEMAT MODE

Shareholders holding shares in Physical form are requested to dematerialize their shares/complete their KYC with the Company's RTA.

For Precision Electronics Limited
Sd/-
Punit A. Bajaj
Company Secretary
Membership No.: FCS 13366

Place: Noida
Date: November 29, 2025

KART SOLUTIONS LIMITED

r: U33100DL2008PLC178355

dustrial Estate, Phase III, New Delhi - 110 020

Course Road, Sector 43, Gurugram - 122 009, Haryana, India

/ebsite: www.lenskart.com

NSOLIDATED) FINANCIAL RESULTS AR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2025

ed (**"the Company"**), on g held on November 29, dated) Financial Results

For more information please scan

provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("IBC") read with the regulations framed thereunder, on an **"AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS, WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS"**.

The auction will take place through the online e-auction service provider, Baanknet auction platform (eBKray) at https://ibbi.baanknet.com.

SCHEDULE OF IMPORTANT DATES FOR THE E-AUCTION	
Last date and time to submit eligibility documents and Section 29A undertaking	**27th December 2025, up to 5 PM**
Last date and time to deposit the Earnest Money Deposit ("EMD")	**27th December 2025, up to 5 PM**
Date and Time of the E-Auction	**29th December 2025 from 11.00 AM to 3:00 PM** (Unlimited time extension of 5 minutes each)

Sr. No.	Block	Details of assets	Reserve Price (Rs)	Earnest Money Deposit (Rs)	Incremental value (Rs)
1	Block A	Land along with assets at Mouza - Tajpur, JL No. 244 P.S. - Ramnagar, East Medinipur, West Bengal (under Digha Sankarpur Development Authority), as per records, having an aggregate area of 3 acres as per sale deeds	3,55,00,000	35,50,000	10,00,000
2	Block B	Land along with assets at Mouza - Tajpur, JL No. 244 P.S. - Ramnagar, East Medinipur, West Bengal (under Digha Sankarpur Development Authority) as per records, having an aggregate area of 10.095 acres as per sale deeds. **(Original Title deeds not in possession of Liquidator)**	11,95,00,000	1,19,50,000	15,00,000
3	Block C	Land along with assets at Mouza - Tajpur, JL No. 244 P.S. - Ramnagar, East Medinipur, West Bengal (under Digha Sankarpur Development Authority) as per records, having an aggregate area of 13.095 acres as per sale deeds. **(Original Title deeds admeasuring only 3 Acres in possession of the Liquidator)**	15,50,00,000	1,55,00,000	20,00,000

Major Terms and Conditions of the E-auction are as follows :

1. The intending bidders are required to register through https://ibbi.baanknet.com by using their mobile number and email ID. Contact for support: support.baanknet@psballiance.com / Mobile No. +918291220220.
2. The Liquidator, in consultation with the Stakeholders' Consultation Committee, shall hold the absolute right with reference to preference of selection between Block A, Block B or Block C.
3. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale, and payment terms is available onthe website https://ibbi.baanknet.com. The intending bidders must comply with all the terms and conditions of the E-auction process document.
4. The intending bidders shall submit an undertaking that they do not suffer from any ineligibility under section 29A of the Code to the extent applicable. **The bidder shall further acknowledge and agree that, in the event they are found to be ineligible at any stage of the process, the earnest money deposit shall stand forfeited without any further recourse.**
5. Intending bidders are required to submit the prequalification documents, Undertaking under Section 29A and EMD through the E-auction Platform, i.e., https://ibbi.bank.net.com. The EMD must be deposited by using the bidder's own e-wallet account on the portal. EMD shall not bear any interest.
6. If the highest bidder is found ineligible, including that mentioned under serial 4 above, EMD shall be forfeited.
7. In case the highest bidder is found ineligible, the liquidator may, in consultation with the consultation committee, declare the next highest bidder as the successful bidder after following the same process as provided under clause (12A) to clause (12E) of the Liquidation Regulations under Schedule I.
8. Intending bidders shall conduct independent due diligence, at their own cost, regarding the possession, ownership, title, and any outstanding dues related to the property, including local taxes, electricity, water charges, or other liabilities, before participating in the E-auction and

Precision

प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

सीआईएन : L32104DL1979PLC009590
पंजीकृत कार्यालय : डी–1081 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली 110025
दूरभाष : 120 2551556/7 फैक्स : 120 2524337
ईमेल : cs@pel-india.in, वेबसाइट : www.pel-india.in

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो के संबंध में सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने अपने परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/MIRSDPoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के माध्यम से निवेशकों के लिए निवेश को आसान बनाने और उनके द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों में उनके अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष विंडो शुरू की है।

उक्त परिपत्र के अनुसार, जिन निवेशकों ने 1 अप्रैल, 2019 (जिस तिथि से प्रतिभूतियों का भौतिक रूप में हस्तांतरण बंद कर दिया गया था) से पहले भौतिक शेयरों के लिए हस्तांतरण अनुरोध प्रस्तुत किए थे, और जिनके अनुरोध कमियों के कारण अस्वीकार कर दिए गए थे या वापस कर दिए गए थे, उन्हें अब ऐसे हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है।

पात्र निवेशकगण छह (6) महीने की विशेष विंडो अवधि के दौरान, यानी 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक, आवश्यक दस्तावेजों और सुधारात्मक कमी, यदि कोई हो, के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए'), स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास अपने पहले के अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। निवेशकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परिपत्र के अनुसार, हस्तांतरण के लिए पुनः प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियाँ (उन अनुरोधों सहित जो कंपनी / आरटीए के पास उस तिथि तक लंबित हैं) हस्तांतरण–सह–डीमैट अनुरोधों के लिए निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद केवल डीमैट रूप में जारी की जाएंगी। निवेशकगण नीचे दिए गए किसी भी पते पर कंपनी या आरटीए को दस्तावेज भेज सकते हैं :

प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रति, कंपनी सचिव डी–10, सेक्टर 3, नोएडा – 201 301, उत्तर प्रदेश, भारत दूरभाष : +91–120 255 5176/7 ईमेल : cs@pel-india.in	**स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,** यूनिट : प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डी–153/ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली– 110020, दूरभाष : +91–11–26812682 ईमेल : admin@skylinerta.com

हम उन सभी निवेशकों को प्रोत्साहित करते हैं जिन्होंने पहले स्थानांतरण अनुरोध प्रस्तुत किए थे, लेकिन बकाया कमियों के कारण अभी तक भी जिन्हें हस्तांतरित शेयर प्राप्त नहीं हुए हैं, कि वे निवेशकों के लाभ के लिए स्थापित इस विशेष विंडो का लाभ उठाएं।

केवाईसी अद्यतन करें तथा भौतिक शेयरों को डीमैट मोड में परिवर्तित करें

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में परिवर्तित करें / कंपनी के आरटीए के पास अपना केवाईसी पूरा करें।

कृते प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
हस्ता./–
पुनीत ए. बजाज
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: एफसीएस 13366

स्थान : नोएडा
दिनांक : 29 नवंबर, 2025

प्रपत्र सं. 3
[विनियम–13 (1) (क) देखें]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल एससीओ 33–34–35, सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

वाद सं. : ओ.ए./1185/2025

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत सम्मन

ईएक्सएच. नंबर : 28155

येस बैंक
बनाम
रमेश कुमार

सेवा में,
(1) रमेश कुमार डी/डब्ल्यू/एस/ओ–मौजी राम रमेश कुमार पुत्र मौजी राम निवासी मकान नंबर 479, हुडा, जी.टी. रोड के पास पानीपत हरियाणा–132103. पानीपत हरियाणा
(2) सोनू शर्मा निवासी एच नंबर 489 सेक्टर 6 हुडा रेलवे लाइन के पास पानीपत हरियाणा पानीपत, हरियाणा–132103

सम्मन

जबकि, ओए/1185/2025 माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 16–10–2025 को पेश किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 2707656.14/– की ऋण वसूली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता है :–

i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए
ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें ;
iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है ;
iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे ;
v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवेदक को मुहैया कराने तथा दिनांक 22–12–2025 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

पित प्रति भी प्रस्तुत करें तथा
बकाया/बिजली बकाया/लीज
कर सकता है।
वा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया
न्य लाइन ई–मेल आईडी:
को सम्पर्क करें।
बिना कोई कारण बताए प्राप्त
नीलामी की शर्तों और नियमों
नहीं किया जा सकता है।
ी जाए। एतद्द्वारा ऋणधारकों/
कोई हो, ब्याज तथा लागत के
ारी, एचडीएफसी बैंक लि.

दिल्ली–67
w.hdfcbank.com

नांकित आदेश से
धिकारी ने वित्तीय
002 के नियम 3 के
कर्जदारों/कानूनी
र कथित सूचना में
के साथ राशि को

तिभूत
वरण

सेट नंबर 133–ए,
पलैट्स, डीडीए
दिल्ली के साथ
आनुपातिक हिस्सा
विष्य में होने वाला

, भूतल, बिना छत
न्याय खंड–1,
र प्रदेश में जीडीए
के साथ निचली
अनुपातिक हिस्सा

सरा फ्लोर (छत के
प 32 वर्ग मीटर है,
आनुपातिक हिस्से
में स्थित है, रोहिणी
10085 का लेआउट
नरेंद्र हुड्डा के पक्ष में
बर 900, दिनांक
है। इस प्रॉपर्टी की

सिरा फ्लोर (छत के
साइज 32 स्क्वायर
न में बिना बंटा हुआ
सेक्टर–24 में है।
दिल्ली–110085 का
रोहित हुड्डा के बेटे
सेल डीड, रजिस्ट्रेशन
के जरिए रजिस्टर्ड
रहा है –

और आम जनता को
के नियम 8 के अधीन

पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 07–11–2025 को दिया गया।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–II, चंडीगढ़

प्रपत्र सं. 3
[विनियम–13 (1) (क) देखें]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल एससीओ 33–34–35, सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

वाद सं. : ओ.ए./836/2025

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत सम्मन

ईएक्सएच. नंबर : 28396

येस बैंक
बनाम
श्री हरजिंदर सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह और श्रीमती नरिन्दर कौर पत्नी श्री हरजिंदर सिंह

सेवा में,
(1) **प्रतिवादी सं. 1** – श्री हरजिंदर सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी मकान नंबर 8, वीपीओ कोर्वा खुर्द, कोर्वा करसन रोड, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा (कर्जदार).
(2) **प्रतिवादी सं. 2** – नरिन्दर कौर पत्नी श्री हरजिंदर सिंह निवासी मकान नंबर 8, वीपीओ कोर्वा खुर्द, कोर्वा करसन रोड, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा (सह–कर्जदार)

सम्मन

जबकि, ओए/836/2025 माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 07–11–2025 को पेश किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 29,67,891.88/– की ऋण वसूली के लिए आपके विरुद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता है :–

i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए
ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें ;
iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है ;
iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे ;
v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 16–01–202 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रह पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक 09–01–20 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रह पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 11–11–2025 को दिया गया।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–II, चंडी

प्रपत्र सं.
[विनियम–13 (1) (क) दे

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल एससीओ 33–34–35, सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित)

वाद सं. : ओ.ए./844/2025

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2 के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत सम्मन

ईएक्सएच. नंबर : 28

येस बैंक
बनाम
प्रेम देवी पत्नी श्री बलजीत सिंह

सेवा में,
(1) प्रतिवादी सं. 1 – श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री बलजीत सिंह निवासी ग्राम धामर, रोह जिला रोहतक, हरियाणा कर्जदार
अन्य पता :
श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री बलजीत सिंह, निवासी फ्लैट नंबर जी–206, सेक्टर–36–ए, सन हाइट्स, रोहतक, हरियाणा रोहतक, हरियाणा

सम्मन

जबकि, ओए/844/2025 माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 07–11–2025 को पेश गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण रू. 22,84,181.24/– की ऋण वसूली के लिए आपके विरुद्ध द किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/ जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया ज

i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं क
ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अ सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें ;
iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के